297

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 1996 (चैत्र 6, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कांतिलाल भूरिया, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9-11-95-तेइस-यो-2, दिनांक 25 जनवरी, 1996 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र में सौंपी गई विद्युत परियोजनाओं में से शेष 8 परियोजनाओं से संबंधित 8 कंपनियों के साथ निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध की प्रतियां पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 1992 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), भूतपूर्व मुख्य सचिव, श्री जी॰ जगतपति की अध्यक्षता में मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों के संबंध में गठित जांच समिति मध्यप्रदेश का रायपुर विकास प्राधिकरण जांच प्रतिवेदन की संक्षेपिका पटल पर रखेंगे.

(5) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 19-53-87-बारह-2, दिनांक 18 मार्च, 1996 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री लल्लू सिंह, ईश्वरदास रोहाणी, गोविंद मिश्रा, सदस्य, राज्य भंडार गृह निगम के प्रबंध संचालक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, इन्दौर में हाईस्कूल की अनेक उत्तर पुस्तिकाएं चौराहे पर पाए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री निर्भय सिंह पटेल, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, डबरा शुगर मिल के प्रबंधकों द्वारा कृषकों को गन्ने की राशि का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री बाबूलाल गौर, थावरचन्द गेहलोत, शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल में विद्युत ट्रान्सफार्मर उड़ाने हेतु हुए बम विस्फोट में आर.डी.एक्स. पाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री रघुनन्दन शर्मा, बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के पास ग्राम समसपुरा के जंगल में नील गाय का शिकार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, जावरा कृषि उपज मंडी में कृषकों का शोषण होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री बच्चन नायक, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, जबलपुर स्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय में अनियमितता होने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर के उप पंजीयक कार्यालय में अनियमितताएं होने की ओर राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति का दशम्, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) श्री राम किशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" विशेषाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

(2) श्री धनेश पटिला, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सागर के पुलिस कर्मियों के आचरण की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

(3) श्रीमती राजेश नन्दिनी सिंह, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" रायगढ जिले के सरिया थानान्तर्गत चौपाल कार्यक्रम के दौरान महिला सरपंच के साथ हुए दुर्व्यवहार संबंधी प्रकरण का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री झल्लूलाल तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले के ग्राम किकरा खिलौड़ी से सैदा तक वन मार्ग को लोक निर्माण विभाग के अधीन लेकर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराये जाने ;

(2) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम सलैया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;

(3) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, राजधानी भोपाल में खुले एवं अवैध रूप से मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाये जाने ,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार एवं स्वीकृति

श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" यह सदन आज दिनांक 26 मार्च, 1996 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के दशम्, ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें एवं चौदहवें प्रतिवेदनों पर विचार कर इन्हें स्वीकार करें."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय
1 घन्टा

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 1996 (क्रमांक 4 सन् 1996) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 25 मार्च, 1996